न्यायालय :– जिला न्यायाधीश, शिवहर।

Probate 02/2014
O.S. 02/2014

प्रभाशंकर नारायण सिंह ..... आवेदक ।

बनाम्

श्रीमति सरोज सिंह..... विपक्षी ।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री प्रभाशंकर नारायण सिंह।
विपक्षी सरोज सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री संजय कुमार सिंह।

उपस्थितः– उदयवंत कुमार,
जिला न्यायाधीश,
शिवहर।
दिनांक–27.04.2024.

आदेश

दिनांक–27.04.2024

विपक्षी सरोज सिंह की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश VI नियम 17 एवं धारा 151 के अंतर्गत विपक्षी द्वारा दाखिल आपत्ति सह उत्तर पत्र में संशोधन करने हेतु आवेदन दिनांक 15.04.2024 दाखिल किया गया है।

इसके द्वारा विपक्षी सरोज सिंह की ओर से कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा दाखिल आपत्ति सह उत्तर पत्र दिनांक 21.08.2024 में संशोधन करने की अनुमति दी जाए। अपने आवेदन में उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि इससे पहले आपत्ति सह उत्तर पत्र दिनांक 21.08.2024 में संशोधन हेतु आवेदन नहीं दिया जा सका। इस संशोधन से वाद का स्वरूप नहीं बदलता है। यह संशोधन औपचारिक प्रवृत्ति का है। इसलिए यह संशोधन न्यायहित में मंजुर करने की कृपा की जाए। आवेदन विपक्षी सरोज सिंह के शपथ पत्र से समर्पित है।

आवेदन दिनांक 15.04.2024 के प्रतिउत्तर में आवेदक कथन किये है कि विपक्षी का संशोधन करीब दस वर्ष बाद वाद को विलम्ब करने के उद्देश्य से लाया गया है तथा कैवियट में हुई गलतियों के सुधार करने एवं नया आधार बनाने हेतु लाया गया है। साथ ही भारतीय उत्तराधिकार कानून की धारा 295 के अनुसार इस वाद में दिवानी प्रकिया संहिता के सभी धाराओं के प्रयोग की अनुमति नहीं है, अतः पोषणीय नहीं है। अतः संशोधन आवेदन खारीज करने का निवेदन है।

अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद आवेदक द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 275 एवं 278 के अंतर्गत आवेदक की ओर से दिनांक 19.04.2014 को दाखिल किया गया है। विपक्षी की ओर से दिनांक 21.08.2024 को आपत्ति सह उत्तर पत्र दाखिल किये जाने के पश्चात् दिनांक 10.10.2024 को ओरिजनल सुट के रूप में परिणत हुआ है। वाद में वाद बिन्दू का गठन नहीं हुआ है।

लगातार/–

Probate 02/2014
O.S.02/2014

विपक्षी द्वारा लाया गया संशोधन आवेदन के परिशीलन से स्पष्ट है कि इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा यह औपचारिक प्रकृति का है। वाद के आवेदक द्वारा यह कथन किया जाना कि विपक्षी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन का भारतीय कानून की धारा–295 के अनुसार प्रयोग की अनुमति नहीं है का कोई आधार नहीं है। 'उत्तराधिकार' corrected vide order dt. 30.04.2024 D.J.

उक्त तथ्यों के विवेचनानुसार विपक्षी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 15.04.2024 को मो0 500/– (पॉच सौ) रुपये के कौस्ट पर स्वीकृत किया जाता है।

'व्यवहार प्रक्रिया संहिता' - corrected vide order dt 30.04.24 D.J.

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द0प्र0सं0 के आदेश–6, नियम–17 के अंतर्गत आवेदन दिनांक 15.04.2024 के अनुसार आपत्ति सह उत्तर पत्र दिनांक 21.08.2014 में चौदह दिनों के अन्दर संशोधन करें तथा आवेदक को कौस्ट की राशि प्राप्त करावें।

लेखापित एवं शुद्विकृत

जिला न्यायाधीश,
शिवहर।
27.04.2024.